2.

338

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2024
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या–.......वर्ष, 2024)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : –

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 2 में संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 मे नया खण्ड (28) को निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्– "(28) "समर्पित आयोग" से तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अवधारित किये जाने हेतु गठित समर्पित आयोग से है।"
धारा 9–क का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्– "(1) प्रत्येक नगरपालिका में स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या उस नगरपालिका में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगी जैसा कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या वही होगी, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गयी अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करेगी और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए, आवंटित किये जा सकेंगे: प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

का कुल आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

प्रतिबन्ध यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा;

प्रतिबन्ध यह और भी कि यदि पिछडे वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

धारा 13– घ का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 13–घ के खण्ड (ङ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनका जन्म दिनांक 27 अप्रैल, 2003 के पश्चात् हुआ है;

परन्तु पहली संतान के बाद दूसरे गर्भधारण पर जुड़वा बच्चे या उससे अधिक होने पर अनर्हता सम्बन्धी उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा; या"

धारा 48 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 48 में,–

(क) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्त में निम्नवत् परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात् –

"परन्तु जहाँ राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि आरोप निराधार नहीं प्रतीत होते हैं और इस उपधारा के किसी आधार पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रथम दृष्टया दोषी हैं जिसके परिणामस्वरूप उस पर इस उपधारा के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और कार्यवाही की जाती है तो आरोप युक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन करने से तब तक प्रविरत रहेगा जब तक कि इस उपधारा के अधीन उसको जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से उसे विमुक्त न कर दिया जाय और उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन कार्यवाहियों का समापन न हो जाये और प्रविरत रहने की ऐसी अवधि के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उक्त शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पंक्ति का न हो, के द्वारा किया जायेगा;

परन्तु यह और कि उपधारा 2 के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन दोषी पाये गये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगर पालिका का सदस्य भी नहीं रह पायेगा और दोष सिद्धि के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय

(ख) उपधारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्–
"उपधारा 2 के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।"

धारा 128 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (सात) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–
"(सात) विज्ञापनों पर कर, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन न हों;"

निरसन और व्यावृत्ति

7. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objects and Reasons

To provide adequate representation to the Other Backward Classes in the Urban Local Body elections as per the recommendations of the Single Dedicated Commission the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Act, 1916) (Amendment) Ordinance, 2024 has been promulgated.

2- The proposed bill is the replacing bill of the said Ordinance.

Prem Chand Aggarwal
Minister

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Act, 1916)

(Amendment) Bill, 2024

(Uttarakhand Bill No............Year, 2024)

A

Bill

further to amend the Uttar Pradesh Municipality Act, 1916 (Adaptation and Modification order 2002) in the context of Uttarakhand State,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

Short Title and Commencement.	**1.**	(1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Act, 1916) (Amendment) Act, 2024. (2) It shall come into force at once.
Amendment in Section 2	**2.**	In section 2 of the Uttar Pradesh Municipality Act, 1916 (Adaptation and Modification order, 2002) (hereinafter referred to as the principal Act) new clause (28) shall be inserted as follows, namely:- "(28) 'Dedicated Commission' means the Dedicated Commission constituted by the State Government for determining the seats of other Backward Classes;"
Amendment of section 9-A	**3.**	In the principal Act sub section (1) of section 9-A shall be substituted as follows, namely; (1) In every municipality seats shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall be in the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that municipality as the population of the Scheduled

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचि...
उत्तराखण्ड

Castes in the municipal area or of the Scheduled Tribes in the municipal area bears to the total population of such area and the number of seats reserved for Backward Classes shall be such as determined by the State Government as per the recommendations made by the Dedicated Commission on the basis of contemporary in-depth empirical investigation and such seats may be allotted to different wards in a municipality by rotation in such order as may be prescribed by the rules;

Provided that the total reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes shall not exceed 50 percent of total number of seats;

Provided further that if the reservation for Schedules Castes and Scheduled Tribes is 50 percent or more of the total number of seats, there shall be no reservation for the Backward Classes;

Provided also that if the data of population of Backward Classes is not available, then their population may be determined by conducting a survey in the prescribed manner."

Amendment of Section 13-D **4.** In the principal Act clause (e) of Section 13-D shall be substituted as follows, namely;

"has more than two living children, who were born after April 27, 2003;

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case of having twin

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

or more children in the second pregnancy after the first child, or,"

Amendment of Section 48 5. In the principal Act in section 48, -

(a) at the end of clause (b) of sub section (2) following proviso shall be inserted as follows, namely: -

"Provided that where the State Government has reason to believe that the allegations do not appear to be unfounded and the President or the vice President is prima facie guilty on any ground under this sub section and in consequence of which a show cause notice is issued to him under this sub-section and proceedings are held then from the date of issue of the show cause notice containing the allegations, President or the vice President shall be prevented from exercising, performing and discharging the financial and administrative powers, functions and duties unless he is acquitted of the charges mentioned in the issued show cause notice and the proceedings under clause (a) of sub section (2) are concluded and during such period of prevention the said powers, functions and duties of the President or the vice President shall be exercised, performed and discharged by the District Magistrate or any officer nominated by him not below the level of Deputy Collector:

Provided further that those President and vice President found guilty under clause (a) and (b) of sub-

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

section (2) shall not be able to remain a member of the municipality and shall not be eligible for re-election as president or member for a period of five years from the date of conviction."

(b) Sub section (3) shall be substituted as follows namely;

"the order passed under clause (a) and (b) of sub-section (2) shall be final and shall not be challenged in any court."

Amendment of section 128

6. In the principal Act clause (vii) of sub-section (1) of section 128 shall be substituted as follows, namely:

"(vii) tax on advertisement, not being advertisement published in newspapers."

Repeal and Saving

7. (1) The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Act, 1916) (Amendment) Ordinance, 2024 is here by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान

खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का संशोधन मात्र है।

1—विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ के विषय में उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

2—विधेयक के खण्ड 2 में धारा 2 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

3—विधेयक के खण्ड 3 में धारा 9—क का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

4—विधेयक के खण्ड 4 में धारा 13—घ का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

5—विधेयक के खण्ड 5 में धारा 48 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

6—विधेयक के खण्ड 6 में धारा 128 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

7—विधेयक के खण्ड 7 में निरसन और व्यावृत्ति का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक स
विधा

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का संशोधन मात्र है।

2— प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

340

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी भी प्रकार का वित्तीय उपाशय निहित नहीं है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा ...
उत्तराखण्ड